अध्याय-6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान तथा भू-राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। इन करों का प्रबंध एवं उद्ग्रहण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए अलग से निर्मित संबंधित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 में खदान एवं भू-विज्ञान (32 इकाइयां), विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क) (04 इकाइयां), भू-राजस्व (119 इकाइयां) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क) (23 इकाइयां) से संबंधित 178 इकाइयों में से 50 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 528 मामलों में ₹ 259.38 करोड़ से आवेष्टित कर प्राप्तियों तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो नीचे **तालिका 6.1** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 6.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	संविदा धन तथा ब्याज की अवसूली	17	173.80
2	रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	149	0.61
3	खनन संविदाओं के पट्टा विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क की अवसूली/कम वसूली	12	49.61
4	पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि की अवसूली/कम वसूली	05	11.99
5	प्रतिभूति जब्त न करना	02	23.02
6	नकल एवं म्यूटेशन फीस की अवसूली/कम वसूली	323	0.34
7	विविध अनियमितताएं	20	0.01
योग		**528**	**259.38**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 111 मामलों में ₹ 76.76 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें 108 मामलों में आवेष्टित ₹ 76.75 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 17 मामलों में ₹ 40.09 लाख वसूल किए, जिनमें से 14 मामलों में आवेष्टित ₹ 39.54 लाख वर्ष 2016-17 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 36.27 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

6.3 संविदा धन तथा ब्याज की अवसूली

समय पर कार्रवाई करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 35.90 करोड़ के संविदा धन की वसूली नहीं हुई।

हरियाणा राज्य में खनन संविदाओं की मंजूरी खुली नीलामी नीति के अंतर्गत निदेशक खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ के कार्यालय द्वारा दी जा रही है तथा इसके संबंधित खनन अधिकारी (एम.ओ.)/सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ई.) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। खदान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित मॉडल अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संविदा की अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस (ई.सी.) की मंजूरी की तारीख या उच्चतर बोली की स्वीकृति/लैटर ऑफ इंटेंट (एल.ओ.आई.) के जारी करने से 12 माह की अवधि की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, से होगी। ठेकेदार, संविदा की अवस्थिति के दौरान संविदा धन की किश्तों का सरकार को अग्रिम में भुगतान करेगा। आगे, अनुबंध प्रावधान करता है कि देय तारीख (तारीखों) पर संविदा धन की किश्तों के भुगतान में चूक के मामले में 30 दिनों तथा 60 दिनों तक विलंब हेतु चूक की राशि पर क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभार्य होगा। 60 दिनों से अधिक विलंब ठेका अनुबंध के निरस्तीकरण हेतु कार्रवाई आमंत्रित करने के लिए ठेका-भंग के समान हो सकता है तथा चूक की संपूर्ण अवधि हेतु 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित राशि वसूलनीय होगी।

सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ई.), फरीदाबाद के कार्यालय के वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के अभिलेखों की जनवरी 2017 में संवीक्षा ने प्रकट किया कि रेत के खनन हेतु खदानों के खनन अधिकारों की मंजूरी के लिए दिसंबर 2013 में आठ वर्षों की अवधि हेतु एक नीलामी आयोजित की गई थी। तदनुसार, ₹ 29.50 करोड़ के वार्षिक संविदा धन का उच्चतम निवेद 27 दिसंबर 2013 को स्वीकार किया गया था। एल.ओ.आई., 4 जनवरी 2014 को जारी किया गया था। संविदा की शर्तों के अनुसार, संविदा धन का भुगतान जनवरी 2015 से किया जाना था। तथापि, ठेकेदार ने सितंबर 2015 से जनवरी 2016 तक ₹ 7.37 लाख की प्रतिभूति तथा ₹ 11.26 करोड़ की मासिक किश्तों का आंशिक भुगतान किया। ठेकेदार ने जनवरी से अगस्त 2015 तथा फरवरी से मार्च 2016 तक की अवधि हेतु ₹ 25.53 करोड़ के संविदा धन की मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया। संविदा की शर्तों के अनुसार, संविदा धन जनवरी 2015 से देय था जबकि विभाग ने देयों की वसूली के लिए पहला नोटिस केवल दिसंबर 2015 में तथा उसके बाद अप्रैल 2017 तक कई नोटिस जारी किए।

आगे, विभाग ने 02 मार्च 2016 को संविदा के खनन परिचालनों को निलंबित कर दिया किंतु यह आदेश ठेकेदार से निरस्तीकरण की शर्तों को पूरा करवाए बिना 08 अप्रैल 2016 को

निरस्त किया गया था। ठेकेदार द्वारा (निरस्तीकरण हेतु दिए गए आश्वासन के अनुसार) मई 2016 में देयों के भुगतान की ओर दिए गए चैक भी बाउंस हो गए। तथापि, संविदा, जब यह अंतिम रूप से विभाग द्वारा निरस्त की गई थी, मई 2017 तक परिचालन में रही। इस प्रकार, राशि न तो वसूल की गई थी और न ही समय पर संविदा निरस्त की गई थी। इसके कारण बकाया देयों की बड़ी राशि संचित हो गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.90 करोड़ (₹ 10.37 करोड़ के ब्याज[1] सहित) के संविदा धन की वसूली नहीं हुई।

मामला जनवरी 2017, फरवरी 2017 तथा अप्रैल 2017 में खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा जून 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि खनन संविदा अब (मई 2017) रद्द कर दी गई है तथा भू-राजस्व के बकायों के रूप में देय राशि की वसूली प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है (जून 2017)। यदि विभाग ने वसूली, तथा/या निरस्तीकरण के लिए संविदा के प्रावधानों के अनुसार समय पर कार्रवाई आरंभ की होती तो इतनी बड़ी राशि संचित नहीं होती।

6.4 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

चार जिलों के संबंध में 67 ईंट भट्ठा मालिकों से ₹ 37.22 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की राशि की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

ईंट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। यदि भुगतान सात दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 30 दिनों तक, 30 दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 60 दिनों के भीतर तथा देय तारीख के 60 दिनों के बाद किया जाता है तो चूक की अवधि हेतु क्रमशः 15, 18 तथा 21 प्रतिशत (चूक की संपूर्ण अवधि हेतु) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओज रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किए जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और उस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है। सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ईज)/खनन अधिकारी (एम.ओज) बकाया देयों की वसूली की मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

चार खनन अधिकारियों (एम.ओज)[2] के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 1,003 बी.के.ओज में से 67 बी.के.ओज ने अप्रैल 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मार्च 2017 तक 24 से 36 माह के मध्य

---

1 मार्च 2016 तक देय संविदा धन तथा मार्च 2017 तक परिकलित ब्याज।

2 भिवानी, फरीदाबाद, नारनौल तथा सोनीपत।

श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ₹ 25.49 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए या परमिटों को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 25.49 लाख की रायल्टी की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 11.73 लाख का ब्याज भी नियमों के अनुसार उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर सभी एम.ओज ने बताया (नवंबर 2016 तथा अप्रैल 2017) कि ₹ 1.38 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की वसूली की जा चुकी है तथा ₹ 35.84 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए संबंधित बी.के.ओज को नोटिस जारी किए गए थे।

मामला नवंबर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य खदान एवं भू-विज्ञान विभाग तथा मई 2017 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2017)।

चण्डीगढ़ **(महुआ पाल)**
दिनांकः **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनांकः **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**